न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या —129 / 2025 दायर दिनांक 15.09.2025 GCMS CASE NO-2025/152

गुड्डी देवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर

——अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू0अ0) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. जमनादेवी पत्नी सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
3. भंवरलाल पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
4. कालूराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
5. मंगतुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
6. डुंगरराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
7. सोना देवी पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 9 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांट ओर से
2. पैरोकार राज. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से

—::निर्णय::— दिनांक : 29.01.2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0), श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 04.09.2025 जिसके द्वारा प्रार्थी कालूराम द्वारा जैर अपील रकबा का विरास्तन इंतकाल दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वजीत छाबड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 को भेजे गये सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी उक्त रेस्पोडेंगण बावजूद पर्याप्त रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज हांजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित मूल अभिलेख मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता सहीराम पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी 9 बी एल एम तहसील श्रीविजयनगर के नाम चक 9 बी एल एम तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं.नया 52 पुराना 42 का प.सं. 207 / 408 मु.न.23 के कि.न. 1 ता 25 की कुल 6.070 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सहीराम पुत्र नानूराम का देहान्त दिनांक 31.07.2023 को होने के उपरांत उनके प्रथम श्रेणी कुल सात विधि [illegible] रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 है। मृतक खातेदार सहीराम के देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि [illegible] सयुक्तं अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है तथा समस्त हक अधिकार [illegible] में निहित [illegible] है। रेस्पोडेन्ट सं. 4 कालूराम द्वारा अपने पिता की भूमि का विरास्तन [illegible] 28.08.2025 [illegible]धीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0), श्री[illegible] पत्र प्रस्तुत किया [illegible]स पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का 8 बीएलएम 'बी' ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.09.2025 में अवगत करवाया कि उक्त रकबे की पंजीबद्ध वसीयत 0203000396 दिनांक 06.06.2025 होने के कारण विरास्तन नामान्तरण की कार्यवाही नंही की जा सकती। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का अपीलाधील आदेश दिनांक 04.09.2025 पारित कर दिया। यदि उक्त तथाकथित वसीयत का अवलोकन किया जाये तो तथाकथित वसीयत दिनांक 06.06.2003 में वसीयतकर्ता द्वारा यह स्पष्ट अंकित करवाया गया है कि" मेरे व मेरी पत्नी जमना के मरने के बाद मेरे चारो पुत्र कालूराम, भंवरलाल, मंगलुराम व डूंगरराम अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा सकेगें व पूर्ण रूप से मालिक के अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।'' चूंकि वसीयतकर्ता की पत्नी जमना आज दिनांक तक जीवित है जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयत अभी तक प्रभावी व लागू नही हुई है। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जेर अपील आदेश पारित कर दिया। मृतक खातेदारी अपीलांट का पिता था जिसकी मृत्यु उपरांत विधिक वारिसान होने के नाते उक्त रकबा पर अपीलांट का 1/7 हिस्सा हित निहित है ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपील में वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका की जाचं किए बिना एवं मृतक सहीराम के वारिसान यानि अपीलांट को सुनवाई का बिना पूर्व समुचित अवसर दिये एवं बिना सुनवाई का नोटिस दिये आनन फानन मे एकपक्षीय आलौच्य आदेश पारित किया दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपी अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील निर्णय नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए रिकार्ड अनुसार तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। अपीलांट का कथन है कि खातेदार सहीराम की मृत्यु उपरांत रकबा पर अपीलांट के विरास्तन अधिकार प्राप्त होते है जिससे अपीलांट रकबा का विरास्तन इंतकाल करवाने का अधिकारी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जैर अपील रकबा सहीराम के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड था, जिसकी पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 06.06.2003 को सम्पादित की गई। उक्त पंजीबद्ध वसीयत में रकबा स्वअर्जित होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये है जिससे साबित हो कि सहीराम को उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पंजीबद्ध वसीयत के आधार ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार पारित किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हम किसी तरह की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलांट खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner